(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3857—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 14—10—2014 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 34/2013—14.

.....

1—पवनदत्त

2—गगनदत्त पुत्रगण स्व0 श्री अनिल दत्त शुक्ला
निवासी—शुक्ला टोला उचेहरा
जिला—सतना म0प्र0

3—ममता पुत्री स्व0 श्री शिवदत्त शुक्ला पत्नी इन्द्रमणी पाण्डेय
निवासी शुक्लान टोला उचेहरा हाल मुकान भरहुत
तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— कृष्णा बाई पत्नी स्व0 शिवदत्त शुक्ला
निवासी शुक्लान टोला उचेहरा
तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0

2— नीता पुत्री शिवदत्त शुक्ला पत्नी रामनारायण पाण्डेय

3— सीता पुत्री स्व0 शिवदत्त शुक्ला पत्नी रामभजन पाण्डेय
निवासी शुक्लान टोला उचेहरा
तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0
हाल मुकाम ग्राम मुहरिया तहसील अमरपाटन जिला सतना

4— गुडिया पुत्री स्व0 शिवदत्त शुक्ला पत्नी रामप्रकाश पाठक
निवासी ग्राम जरमोहरा तहसील अमरपाटन जिला सतना

5— पूनम पुत्री स्व0 श्री शिवदत्त शर्मा पत्नी धर्मेन्द्र तिवारी
निवासी शुक्लान टोला उचेहरा
तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शैलेश मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण,

आदेश

(आज दिनांक 02/05/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 34/2013–14. में पारित आदेश दिनांक 14–10–14 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस पर एवं अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा के प्रकरण कमांक 34/अपील/2013–14 में आये तथ्यों पर विचार किया गया।

3/ उभयपक्ष की बहस पर विचार करने एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 34/अपील/2013–14 अपील में आये तथ्यों पर वस्तुस्थिति यह है कि तहसीलदार उचेहरा ने प्रकरण कमांक 10/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.1.13 से भूमिस्वामी शिवदत्त की भूमियों पर बसीयतनामे के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया है। नामांतरण आदेश दिनांक 15.1.13 के विरूद्ध अनुविभागीय उचेहरा के समक्ष दिनांक 14.6.13 को अपील प्रस्तुत हुई है जिसमें हुये विलंब को अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 14.10.14 से क्षमा करते हुये प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया है। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में विचार करना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा ने आदेश दिनांक 14.6.13 से विलंब क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है। अनुविभागीय उचेहरा के समक्ष अपील मेमों के साथ अनावेदक कमांक 1 महिला कृष्णाबाई ने हितबद्ध पक्षकार माने जाने एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति वावत् आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित है कि वादग्रस्त संपत्ति पैत्रिक होते हुये भी आवेदक ने तहसील न्यायालय में उन्हें पक्षकार बनाये बिना संहिता की धारा 110 का आवेदन प्रस्तुत करके स्वयं के हित में नामान्तरण कराया है जिसके कारण उन्हें तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.1.13 की यथा

समय जानकारी नहीं हुई है यही तथ्य उन्होंने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिये है। स्पष्ट है जब अनावेदक कमांक–1 महिला कृष्णा वाई (जो कि विधवा) है एवं उसकी चार पुत्रियां जो अन्यत्र विवाह होकर चली गई है, मृतक खातेदार शिवदत्त की परिजन होने एवं तहसील न्यायालय में पक्षकार न बनाये जाने से अवधि विधान की धारा–5 में तहसीलदार के आदेश की जानकारी का दिया गया श्रोत समाधानकारक है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा ने अंतिरिम आदेश दिनांक 14.10.14 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा करने में त्रुटि नहीं की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक 34/अपील/2013–14 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 14.10.14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है, एवं निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर